

प्रेस नोट

आज दिनांक 18.11.2020 को थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0489/2020 धारा 147/323/504/452/436/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मुबारक अंसारी पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी बच्छांव पश्चिमपुरा थाना रोहनियाँ वाराणसी उम्र करीब 56 वर्ष को समय करीब 12.10 बजे लठिया चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मुबारक अंसारी पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी बच्छांव पश्चिमपुरा थाना रोहनियाँ वाराणसी उम्र करीब 56 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 गौरव पाण्डेय प्रभारी चौकी अखरी, का0 लवकुश कुमार व का0 अजय तिवारी थाना रोहनियाँ वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 18.11.2020 को थाना शिवपुर वाराणसी पुलिस की मदद से थाना मोरवा जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना मोरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 352/2020 धारा 420/294/506/34 भादवि के वांछित अभियुक्त रमेश सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी अग्रसेन पी0जी0 कालेज महेश नगर कालोनी शिवपुर जिला वाराणसी को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया व आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना शिवपुर से मध्य प्रदेश हेतु रवाना हुए। थाने से करीब 150 मीटर आगे जाने पर थाना मोरवा जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश पुलिस बल पर अभियुक्त रमेश सिंह उपरोक्त को छुड़ाने हेतु एक राय होकर छः से सात व्यक्तियों द्वारा हे0का0 जनार्दन सिंह के सर पर वार किया गया तथा सर्विस पिस्टल छीनने का भी प्रयास किया गया। उक्त घटना की सूचना थाना शिवपुर पुलिस को मिलते ही थाना शिवपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर कुल 05 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया तथा 02 अभियुक्त भीड़-भाड़ का फायदा उठाकर फरार हो गये। पकड़े गये अभियुक्तगण का नाम पता पूछने पर अपना नाम क्रमशः 1- झब्बन सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी एसएच 15/83 आर-1 ए भरलाई तरना थाना शिवपुर उम्र करीब 36 वर्ष, 2- अलकेन्द्र सिंह पुत्र राम आशीष सिंह निवासी तड़वा खास बलेरीकपुर थाना तरवा जिला आजमगढ उम्र 37 वर्ष, 3- अमन सिंह पुत्र झब्बन सिंह निवासी एसएच 15/83 आर-1 ए भरलाई तरना थाना शिवपुर वाराणसी उम्र 19 वर्ष, 4- पंकज सिंह पुत्र सिद्धेश्वर सिंह उर्फ विनोद सिंह निवासी सलेमपुर थाना सकलडीहा जिला चन्दौली उम्र करीब 28 वर्ष व 5- रमेश सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी अग्रसेन पीजी कालेज महेशनगर कालोनी थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 54 वर्ष बताया। उक्त पकड़े गये अभियुक्तगण के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0658/2020 धारा 147/148/149/307/323/324/504/506/332/353/224/225/ 394/511 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. झब्बन सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी एसएच 15/83 आर-1 ए भरलाई तरना थाना शिवपुर उम्र करीब 36 वर्ष
2. अलकेन्द्र सिंह पुत्र राम आशीष सिंह निवासी तड़वा खास बलेरीकपुर थाना तरवा जिला आजमगढ उम्र 37 वर्ष
3. अमन सिंह पुत्र झब्बन सिंह निवासी एसएच 15/83 आर-1 ए भरलाई तरना थाना शिवपुर वाराणसी उम्र 19 वर्ष
4. पंकज सिंह पुत्र सिद्धेश्वर सिंह उर्फ विनोद सिंह निवासी सलेमपुर थाना सकलडीहा जिला चन्दौली उम्र करीब 28 वर्ष

5. रमेश सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी अग्रसेन पीजी कालेज महेशनगर कालोनी थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 54 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. स0उ0नि0 साहब लाल सिंह थाना मोरवा जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश।
2. हे0का0 158 डी0एन0 सिंह थाना मोरवा जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश।
3. आरक्षी संजय सिंह, थाना मोरवा जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश।
4. आरक्षी राहुल सिंह थाना मोरवा जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश।
5. उ0नि0 नरेन्द्र कनौजिया थाना शिवपुर जनपद वाराणसी।
6. उ0नि0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना शिवपुर जनपद वाराणसी।
7. का0 अखिलेश यादव, थाना शिवपुर जनपद वाराणसी।
8. का0 अजय प्रजापति थाना शिवपुर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 18.11.2020 को थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मु0अ0सं0 219/2020 धारा 323/506/436 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सुधीर कुमार उर्फ चीकू पुत्र गंगाराम निवासी म0नं0 जे 5/13 ए अमानुल्लापुरा थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र 20 वर्ष को उसके घर से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सुधीर कुमार द्वारा दिनांक 17.11.2020 को रात्रि में अपने ही परिवार वालों के साथ मार-पीट करते हुए घर में खड़ी एक्टिवा में आग लगा दिया गया, जिससे एक्टिवा जल गयी। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त की छोटी बहन द्वारा थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- सुधीर कुमार उर्फ चीकू पुत्र गंगाराम निवासी म0नं0 जे 5/13 ए अमानुल्लापुरा थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 राकेश सिंह भदौरिया, का0 शत्रुघन त्रिपाठी व का0 द्वारिका प्रसाद थाना जैतपुरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 18.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 152 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 4111 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 729 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 155 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1714 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 06 व्यक्ति के विरुद्ध 290 भादवि की कार्यवाही, 55 के विरुद्ध एमवी एक्ट में चालान, 03 के विरुद्ध 151 सीआरपीसी में चालान तथा 102 मनचलों को हिदायत दी गयी।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 120/2020 दिनांक: नवम्बर, 18/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 18-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 40 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *07 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बिना मास्क धारण किये *कुल 637 व्यक्तियों से रु0-16,200/- जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1466 वाहनों का चालान, 04 वाहनों को सीज तथा 150 वाहनों से रु0-1,51,700/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।